industrial accident at Bhopal in December, 1984. The report of the Mission which was forwarded to the Government by the I.L.O. has given a number of recommendations on the control of major hazards in India. However, the report has not found the Indian system of preventing accidents faulty.

Purchase of wheat by the farming co-operatives in U.P.

1611. SHRI SHEO KUMAR MISHRA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the purchase of wheat in Shahjahanpur District (U.P.) has been assigned to eight farming co-operative societies also along with the Food Corporation of India;

(b) whether the constitution and nature of those societies has been found to be satisfactory, if so, what are the details thereof; and

(c) if not, whether Government are aware of the fact that bunglings of about Rs. 1 crore has been found in respect of these societies?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) In Shahjahanpur District (U.P.) where the Food Corporation of India has been purchasing wheat under the price support scheme, nine farming societies were allowed to make similar purchases.

(b) and (c) The Government of U.P. has reported that: the societies were registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, and their constitution and nature were found to be satisfactory; and

One society, namely, the Kashmir Farming Society, allegedly committed a fraud with the intention of misappropriating Rs. 15/-lakhs.

Revamping of D.D.A.

1612. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister while inaugurating first meeting of N.C.R. Planning Board on 4th June, 1985 in Delhi, speaking about Delhi Development Authority said "If you do not act properly we will have to take stern action which might not be palatable", if so, the details of the observations made by him; and

(b) the steps Government are taking to revamp the Delhi Development Authority?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI ABDUL GHAFOOR): (a) The Prime Minister showed concern about:

(i) Construction of houses with inadequate foundation and inadequate action taken against the defaulters.

(ii) Planning of DDA colonies.

(iii) Design of houses.

(iv) Conditions in Jhuggi-Jhompri Resettlement colonies of Delhi.

(b) In view of the enormity of functions and continuous criticism of the working of the Delhi Development Authority, it has been decided to streamline the functioning of the organisation. For this purpose, services of an Expert Agency have been engaged by DDA who are expected to submit report within a year. The report will cover the following areas:

1. Corporate Mission and Strategies.
2. Organisation Structure (for Class I & Class II levels).
3. Human Resources and General Management.
4. Management Information System.
5. Computer Sizing and Automation Plan.
6. Decision Making Processes including Delegation of Powers, Deve-

lopment of Computer System and Streamlining of procedures.

The report will be considered and action taken as soon as it is received.

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल में अनियमितताएं

1913. **श्री सत्यप्रकाश मालवीय :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूसा इन्स्टीट्यूट (भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, दिल्ली) के वैज्ञानिक और तकनीकी संघ ने 15 नवम्बर, 1984 को परिषद् के निदेशक को भेजे एक पत्र में यह आरोप लगाया है कि कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल द्वारा किया गया मूल्यांकन एक पक्षीय तथा अनियमित है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर) : (क) भा० कृ० अ० सं० (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् संस्थान, दिल्ली) के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी संघ ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक को 15 नवम्बर, 1984 को एक पत्र भेजा था जिसमें कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल द्वारा पंचवर्षीय मूल्यांकन के आधार पर उस संस्थान के कुछ वैज्ञानिकों की पदोन्नति न करने का आरोप लगाया है ।

(ख) इस पत्र में वैज्ञानिकों की अन्तःवैयक्तिक तुलना तथा दूसरे उच्च ग्रेड में पदोन्नति की स्वीकृति हेतु उनकी उपयुक्तता से सम्बन्धित सापेक्ष योग्यता पर आधारित आरोप लगाये गये थे ।

पत्र में दिए गए कुछ उदाहरण जिनमें पदोन्नति न किये जाने के मामले में हुये अन्याय का आरोप लगाया गया था, उनकी जांच भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक महोदय ने व्यक्तिगत रूप से की किन्तु इन विशिष्ट मामलों पर पुनर्विचार करने हेतु कोई औचित्य कायम नहीं किया जा सका ।

कृषि अनुसन्धान सेवा के वैज्ञानिकों की मूल्यांकन की पूरी पद्धति पर पुनर्विचार किया गया है । यह पुनर्विचार कार्य प्रणाली के अनुभव और समय-समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर किया गया । प्रणाली को और ज्यादा कारगर बनाने के उद्देश्य से पांच वर्ष के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड तथा पद्धतियां निर्धारित की गई हैं तथा मूल्यांकन किये जाने वाले वैज्ञानिकों द्वारा निजी फाइल के रख-रखाव के सम्बन्ध में तथा मूल्यांकन किये जाने वाले वैज्ञानिकों द्वारा अनुसन्धान प्रायोजना फाईलों के रख-रखाव में भी सुधार के निर्णय लिये गये हैं । मूल्यांकन प्रोफार्मा को भी थोड़ा संशोधित किया गया है । समीक्षा के लिए वर्तमान मूल्यांकन प्रक्रिया में पहले से ही एक प्रावधान है इसमें जो वैज्ञानिक पदोन्नति के लिए उपयुक्त या अग्रिम वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं पाया जाता है उसका प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन किया जायेगा जब तक वह अगले उच्च ग्रेड के लिए पदोन्नति नहीं पाता । जिन मामलों में किसी वैज्ञानिक को **नियत तिथि** से पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया उनके मामलों में और यह उदारता बढ़ती गयी कि वह 500 शब्दों तक की एक टिप्पणी पिछली नियत तिथि से अपनी पदोन्नति के लिए दावा पेश कर सकता है । बोर्ड इसमें यह विचार करेगा कि पूर्व नियत तिथि से पदोन्नति की स्वकृति को न्यायोचित ठहराने के लिए उसके अभ्यावेदन में क्या कोई दम है । इस तरह के अभ्यावेदन पर बोर्ड की सिफारिश को अन्तिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई अन्य अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । फिर भी, **किसी एक ग्रेड** में वैज्ञानिक के मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन के क्रम में इस तरह की समीक्षा का केवल एक ही बार लाभ दिया जाता है । हाल ही में किए गये मूल्यांकन में ही यह समीक्षा लागू होगी । पुराने मामलों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा ।